

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-547) अलेसे- I / 1513

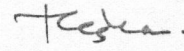
दिनांक:- 19/1/21

आदेश संख्या:- 291 / 2020-21

पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा./3/2021/114-18 दिनांक 14.01.2021 द्वारा श्री सुगर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 9136) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को (अंकेक्षण दल के साथ) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम द्वारा दिनांक 12.01.2021 को 35000/-रुपये (पैंतीस हजार रुपये) बतौर रिश्वत मांग कर प्राप्त करने पर गिरफ्तार किए जाने एवं इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 15/2021 पंजीबद्ध करने की सूचना प्रेषित की है।

राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सुगर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को गिरफ्तारी दिनांक 12.01.2021 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय, टोंक में रहेगा।

श्री सुगर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



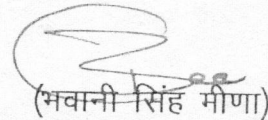
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-547) अलेसे- I / 1513

दिनांक:- 19/1/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर।
- 4 कोषाधिकारी, जयपुर (सचिवालय)/टोंक।
- 5 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 6 श्री सुगर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को पालनार्थ।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 9 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)